वे हमें डायन कहते हैं...?

जुही

पितृसत्तात्मक समाज के मर्दाना रवैये हमेशा से ही औरतों पर हावी रहे हैं–या तो उसे देवी बनाकर त्याग की सीख दी गई, पूजा गया या फिर डायन, चुड़ैल करार देकर मौत के घाट उतार दिया गया–दोनों ही सूरतों में औरत को औरत की तरह जीने से महरूम रखा गया। औरतों की संस्कारगत सहनशीलता, समाज में उनका दोयम दर्जा, एकल स्थिति, आर्थिक-सामाजिक असुरक्षा, जमीन-जायदाद पर हक़ की कमी–तमाम ऐसे कारण हैं जो उन्हें मजबूर करते हैं–सहने के लिए।

बिहार के आदिवासी इलाकों में हर वर्ष लगभग डेढ़-सौ औरतों को 'डायन' करार देकर, पीट-पीटकर मार दिया जाता है या फिर बेइज़्ज़त करके जबरदस्ती गांव के बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे कई दूसरे मकसद हो सकते हैं। किसी औरत का पति अगर मर जाए तो पड़ोसी-रिश्तेदार उसकी ज़मीन-जायदाद हड़पने के लिए उसे डायन करार दे देते हैं। किसी से कोई जातीय दुश्मनी निकालनी हो तो भी पड़ोसी बीमारी आदि के लिए ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। फिर गांव वाले मिलकर उसे या तो मार डालते हैं या फिर पत्थर फेंककर घायल करके गांव के बाहर फेंक देते हैं। यह सब सुनकर शायद इन बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

पर इन औरतों के अनुभव खुद बोलते हैं–

पैंतालीस वर्ष की रूपीदेवी सिंह भूम, बिहार के बेलटंड गांव में रहती थी। दो साल पहले उसके भांजे बुद्धू मांझी की तीन महीने की लड़की बीमार पड़ गई। बुद्धू ने रूपी पर जादू-टोना करने का इल्ज़ाम लगाया। रूपी कहती है "हमको बदनाम किया और बहुत मारा भी"। रूपी और उसके परिवार वालों को गांव से निकाल दिया गया। उसने मिन्नतें, मनुहार सब किया पर एक ग़रीब औरत की पुकार कौन सुनता है।

सुमित्रादेवी

सुमित्रादेवी को 1992 में विधवा होने पर डायन करार दिया गया। गांव के महेश माथो ने इल्ज़ाम लगाया कि वह अपने पति को खा गई। गांव में छोटे बच्चे की मौत भी उसी के कारण हुई है। गुस्से से भरे गांव वालों ने उसे सजा देने की ठानी। उसका सर मूंड दिया, चेहरे पर कालिख और तेल पोतकर, अर्द्धनग्न अवस्था में सात गांवों में घुमाया। "हमें तो ज़िंदा जलाने जा रहे थे पर ठीक समय पर मेरा बेटा पुलिस लेकर

पहुंच गया।" दरअसल महेश माथो की नीयत सुमित्रा पर खराब थी। वह उसकी चार कोटा ज़मीन भी अपने नाम कराना चाहता था। पहले माथो ने पैसे मांगे। इंकार करने पर उसने अपना बदला इस तरह से लिया।

चटनी महताई

चटनी महताई की अपनी पड़ोसन नेपी से नहीं बनती थी। कुछ दिन बाद नेपी बीमार हो गई। घर वालों की लापरवाही से उसकी हालत बिगड़ती गई। ओझा बुलाया गया। ओझा ने कहा, पूजा का सारा ख़र्चा चटनी को उठाना पड़ेगा। गांव छोड़ना होगा। नेपी को भी मजबूर किया कि व कहे 'चटनी हमको खा रही है, उसी को बुलाओ नहीं तो हम मर जाएंगी।" चटनी को बाल पकड़कर घसीटते हुए चौपाल पर लाया गया। उसे पाखाना खाने को मजबूर किया और सिर मूंड दिया गया। फिर गांव से निकाल दिया। अब चटनी अपने भाई के पास रहती है। न्याय का इंतजार कर रही है पर कुर्सी पर बैठने वाले अफसर तो अंधे-बहरे होते हैं। फिर न्याय कहां से मिलता?

चंदो

कुछ ऐसा ही वाकया चंदो के साथ हुआ। विकलांग चंदो चैबासा ज़िले के परिया गांव में रहती थी। गांव के दंगों में उसके मां-बाप और पांच बच्चे मर गए। ओझा ने कहा, दंगे इसलिए हुए क्योंकि उसकी मां डायन थी। किसी ने गांव वालों का विरोध नहीं किया। चंदो को अपनी झोपड़ी व ज़मीन छोड़नी पड़ी। यही तो वे लोग चाहते थे।

पटना में सम्मेलन

यह सब आप बीतियां खुद इन्हीं औरतों की मुंह ज़ुबानी पटना में हाल ही में हुए "डायन प्रथा" के ख़िलाफ सम्मेलन में सुनने को मिली। जमशेदपुर की "फ्लक" संस्था द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 26 जवान, अधेड़ व बूढ़ी औरतें शामिल थीं। इन सभी औरतों को उनके नाते-रिश्तेदार, पास-पड़ोसियों ने घोर, अमानवीय यातनाएं देकर गांव से निकाल दिया। आमतौर पर यह मर्द वह लोग थे जिनकी गांव में साख थी। ये लोग औरत का या तो शारीरिक शोषण नहीं कर पाये या फिर ज़मीन-जायदाद पर इनकी नज़र थी। इसलिए पंचायत और गांव के दूसरे लोगों की मदद से इन औरतों को "डायन" करार दिया गया। बिना किसी भी गलती के इसका फल इन्हें व इन औरतों के परिवार वाले भुगतते हैं।

संयुक्त अभियान चलाने होंगे

इस समस्या के समाधान के लिए ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के बाद चैबासा ज़िले के अधिकारियों की मदद से इस इलाके में 'अंध-विश्वास निवारण अभियान' शुरू किया गया है। इस अभियान को आदिवासी व ग़ैर-आदिवासी दोनों इलाको में चलाया जाएगा। पर अब समय की मांग है कि इस तरह के योजनाबद्ध अभियान बिहार के बाकी इलाकों में भी चलाए जाएं। कुछ संवेदनशील सामाजिक संस्थाएं व आम लोगों को इन अभियानों में शामिल किया जाए। यह समस्या पूरे समाज की है और इसका निवारण भी व्यापक तौर पर करना होगा। सिर्फ़ सर झुकाकर तमाशबीन बनने से काम नहीं चलेगा। पुलिस, सरकार और जनता सभी को एकजुट होकर, निर्दोष औरतों पर इस अत्याचार का विरोध करना होगा। □